

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10161/5458

दिनांक : 20-12-2021

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम ।

विषय : Diversion of 5.107 ha. of forest land for construction of Senior Secondary School along with Surajkund-Badkhal road, km. 6-7, L/side, at Village Mewla Maharajpur, Sector 43, under forest division and District Faridabad, Haryana.

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 2911 दिनांक 2-12-2021 ।

उपरोक्त विषय के बारे में अंकित किया जाता है कि धारा 4 व 5 में अधिसूचित क्षेत्रों के स्टेटस के बाबत "Khorī Gaon Residents Welfare Association Vs State of Haryana" के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है । इसलिए कथित केस में माननीय उच्चतम न्यायालय से निर्णय होने तक विषयोक्त प्रस्ताव को लम्बित रखना ही उचित होगा ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

पू0क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10161/5459

दिनांक : 20-12-2021

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, फरीदाबाद को प्रेषित है ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।